



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या के अभियोग में 02 अभियुक्तों को 04 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000/-रूपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0-58/2014 धारा-304/323/504 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय अपर जिला/सत्र न्यायाधीश प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.जसराम केवट पुत्र मलखान केवट 2.मनोहर लाल केवट पुत्र मलखान केवट निवासीगण ग्राम क्योटरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को दोष सिद्ध करते हुए 04 वर्ष के कठोर कारावास व 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक  
एडीजीसी श्री राजेश  
कुमार तिवारी



विवेचक-  
उ0नि0 सत्यविजय  
सिंह



पैरोकार- थाना कुरारा  
का0 रजनीश कुमार